



135

## कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), जिला रायगढ़ (छ.ग)

क्रमांक / 1693 / रा.नि.का. / 2014  
प्रति,

रायगढ़, दिनांक 15 / 12 / 2014

मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम  
अरण्य भवन, मेडिकल कालेज रोड, रायपुर (छ.ग.)

विषय खरसिया-धरमजयगढ़ रेल कॉरीडोर-राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र ।  
खरसिया- गुर्दा खण्ड का केन्द्र शासन द्वारा अनुमोदन ।

संदर्भ :- इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड का आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2014 ।

---:00:---

छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड द्वारा पूर्व कारीडोर हेतु रेल मार्ग पर आने वाले राजस्व वन भूमि ग्राम भालूनारा तहसील खरसिया के रकबा 2.631 हे. छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि में अनापत्ति की मांग की गई है ।

ग्राम भालूनारा की राजस्व वनभूमि को गैरवानिकीय प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है । आवेदित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया से जाच कराई गई । अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया द्वारा निम्नांकित भूमि खसरा नंबर एवं रकबा को आवेदक कंपनी को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की अनुशंसा की गई है , जो निम्नानुसार है:-

कं.	ग्राम का नाम	रेलवे कॉरीडोर में प्रभावित खसरा नं.	रेलवे कारीडोर में प्रभावित रकबा हे	विवरण
1	2	4	5	7
1	भालूनारा	49/1 से	0.085	छोटे झाड़ का जंगल
		46/1 से	0.016	छोटे झाड़ का जंगल
		32/1 क से	0.040	छोटे झाड़ का जंगल
		32/2 क	0.024	छोटे झाड़ का जंगल
		213/1 सं	0.324	छोटे झाड़ का जंगल
		211	0.259	छोटे झाड़ का जंगल
		205/1 से	0.911	छोटे झाड़ का जंगल
		203/277/1 से	0.344	छोटे झाड़ का जंगल
		203/277/1 से	0.105	छोटे झाड़ का जंगल
		237/1 से	0.275	छोटे झाड़ का जंगल
		240/1 से	0.142	छोटे झाड़ का जंगल
		247/1 से	0.065	छोटे झाड़ का जंगल
		36/1 से	0.041	छोटे झाड़ का जंगल
	योग-	13	2.631	

Chief Operating Officer  
Chhattisgarh East Railway Ltd.,  
CSIDC Commercial Complex,  
2nd Floor, Raipura,  
Raipur (C.G.)

//2//


अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर प्रश्नाधीन भू-खण्ड छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि को गैरवार्निकीय प्रयोजन/व्यपवर्तन कर उपयोग में लाने हेतु वरिष्ठ कार्यालय में आवेदन देने हेतु इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है

उपरोक्तानुसार अनापत्ति भेजने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जायेगा कि उपर्युक्त भूमि आवेदक कंपनी को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है ।

पृ.क्रमांक / 1693A /रा.नि.का./2014  
प्रतिलिपि :-

कलेक्टर  
रायगढ़ (छ.ग.)  
रायगढ़, दिनांक 15/12/2014

1. सचिव छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर छ.ग. ।
2. इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड प्रोजेक्ट आफिस 89 बी, प्रथम तल, वृन्दावन कालोनी जिन्दल रोड रायगढ़ को सूचनार्थ ।



Chief Operating Officer  
Chhattisgarh East Railway Ltd.,  
CSIDC Commercial Complex,  
2nd Floor, Raipura,  
Raipur (C.G.)

कलेक्टर  
रायगढ़ (छ.ग.)

## कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 638  
प्रति,

/स.अ.भू.अ./ 2015

रायगढ़ दिनांक 29 / 05 / 2015

मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम  
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :-

विशेष रेल परियोजना खरसिया से धरमजयगढ़, धरघोड़ा से डोंगामौहा की लाईन सहित (104 किमी.) 0-10 किमी. खरसिया अनुभाग में ग्राम भालूनारा तहसील खरसिया राज्यमार्ग डायवर्सन में आने वाले राजस्व वन भूमि के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बाबत।

संदर्भ :-

1. उप मुख्य अभियंता रेलवे (निर्माण) एस.ई.सी.आर. बिलासपुर का आवेदन पत्र दिनांक 17.04.2015
2. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी खरसिया के पत्र क्रमांक 138/वाचक/2015 खरसिया दिनांक 27.05.2015


— 00 —

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व कबे कारीडोर 0-10 किमी० खरसिया अनुभाग में ग्राम भालूनारा तहसील खरसिया में राजमार्ग (खरसिया से छाल) रेल कारीडोर हेतु निम्न तालिका अनुसार ग्राम भालूनारा में आने वाले राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ का जंगल) पर गैरवाणिज्यी प्रयोजन के लिए राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं है। जो निम्नानुसार है :-

क्रं.	अनुविभाग का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खरारा संबर	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा (हे.मे.)	भूमि का मद
1	2	3	4	5	6	7	8
1	खरसिया	खरसिया	भालूनारा	32/1क	1.214	0.364	छोटे झाड़ का जंगल
2	—	—	—	8/1क	0.413	0.146	छोटे झाड़ का जंगल
3	—	—	—	3/1	1.242	0.121	छोटे झाड़ का जंगल
4	—	—	—	46/1	0.117	0.101	छोटे झाड़ का जंगल
5	—	—	—	49/1	0.445	0.101	छोटे झाड़ का जंगल
			कुल योग	05	3.431	0.833	

उपरोक्त आवेदित भूमि के संबंध में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया के प्रतिवेदन अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

SA-later

  
**Chief Operating Officer**  
**Chhattisgarh East Railway Ltd.,**  
**CSIDC Commercial Complex,**  
**2nd Floor, Raipura,**  
**Raipur (C.G.)**

1/2/1

अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) खरसिया के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुशंसा अनुसार आवेदित ग्राम भालूनारा के कुल खसरा नंबर 05 रकबा 0.833 हे. प्रस्तावित राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़ के जंगल) में खरसिया से धरमजयगढ़ (रोड डायवर्सन ग्राम भालूनारा तहसील खरसिया) रेल कारीडोर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत नियमानुसार गैरवानिकी/व्यपवर्तन हेतु उच्च कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति देने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जावेगा कि उपर्युक्त भूमि आवेदक विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग)

पृ. क्रमांक / 638 A  
प्रतिलिपि:-

/स.अ.भू.अ. / 2015

रायगढ़ दिनांक 29 / 05 / 2015

1. वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने बाबत ।
2. उप मुख्य अभियंता (निर्माण) एस.ई.सी.आर. बिलासपुर को सूचनार्थ ।

Chief Operating Officer  
Chhattisgarh-East Railway Ltd.,  
CSIDC Commercial Complex,  
2nd Floor, Raipura,  
Raipur (C.G.)

कलेक्टर

रायगढ़ (छ.ग)

## कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 639  
प्रति,

/स.अ.भू.अ./ 2015

रायगढ़ दिनांक 29 / 05 / 2015

मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)  
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम  
अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- विशेष रेल परियोजना घरघोड़ा से पेलमा रेल्वे लाईन सहित (0 से 28 किमी.) अनुभाग घरघोड़ा में ग्राम ढोलनारा, खर्रा, बरकसपाली एवं सक्ता तहसील तमनार अनुभाग घरघोड़ा राज्यमार्ग जायवर्सन में आने वाले राजस्व वन भूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत।

- संदर्भ :-
1. उप मुख्य अभियंता रेल्वे (निर्माण) एन.ई.सी.आर. बिलासपुर का आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2015
  2. कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी घरघोड़ा के पत्र क्रमांक 560/वाचक/2015 घरघोड़ा दिनांक 27.05.2015


—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा रेल्वे कारीडोर घरघोड़ा से पेलमा रेल्वे लाईन सहित (0 से 28 किमी.) अनुभाग घरघोड़ा में ग्राम ढोलनारा, खर्रा, बरकसपाली एवं सक्ता रेल कारीडोर हेतु निम्न तालिका अनुसार आने वाले राजस्व वन भूमि (छोटे झाड़/बड़े झाड़ का जंगल/वन खण्ड) पर गैरव्यक्तिकी प्रयोजन के लिए राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाही गई है। जो निम्नानुसार है :-

क्रं.	अनुविभाग का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे.मे.)	प्रभावित रकबा(हे.मे.)	भूमि का मद
1	2	3	4	5	6	7	8
1	घरघोड़ा	तमनार	ढोलनारा	153	0.169	0.169	छोटे झाड़ का जंगल
2	—	—	खर्रा	132/4	1.190	1.190	वन खण्ड
3	—	—	—	129/1	0.279	0.279	बड़े झाड़ का जंगल
4	—	—	—	118/1	0.809	0.809	बड़े झाड़ का जंगल
5	—	—	बरकसपाली	250/1	0.672	0.672	छोटे झाड़ का जंगल
6	—	—	—	21/1	0.299	0.299	छोटे झाड़ का जंगल
7	—	—	सक्ता	16/1	0.494	0.494	छोटे झाड़ का जंगल
8	—	—	—	10/1	0.769	0.769	छोटे झाड़ का जंगल
9	—	—	—	2/1	0.413	0.413	छोटे झाड़ का जंगल
			कुल योग	10	5.094	5.094	

उपरोक्त आवेदित भूमि के संबंध में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा के प्रतिवेदन अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।


SA-Later

  
 Chief Executive Officer  
 CSIDC Commercial Complex,  
 2nd Floor, Raipura,  
 Raipur (C.G.)

// 2 //


अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) घरघोड़ा के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुशंसा अनुसार आवेदित ग्राम ढोलनारा, खर्सा, बरकसपाली एवं सक्ता के कुल खसरा नंबर 10 रकबा 5.094 हे. प्रस्तावित राजस्व वन भूमि (छोटे/बड़े झाड़ के जंगल/वन खण्ड) में घरघोड़ा से पेलमा रेल कारीडोर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत नियमानुसार गैरवानिकी/व्यपवर्तन हेतु उच्च कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।


अनापत्ति देने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जावेगा कि उपर्युक्त भूमि आवेदक विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

  
कलेक्टर  
रायगढ़ (छ.ग)  
रायगढ़ दिनांक 29 / 05 / 2015

पृ. क्रमांक / 639A / स.अ.भू.अ. / 2015  
प्रतिलिपि:-

1. वन मण्डलाधिकारी रायगढ़ को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही करने बाबत ।
2. उप मुख्य अभियंता (निर्माण) एस.ई.सी.आर. बिलासपुर को सूचनार्थ ।

  
**Chief Operating Officer**  
Chhattisgarh East Railway Ltd.,  
CSIDC Commercial Complex,  
2nd Floor, Raipura,  
Raipur (C.G.)

  
कलेक्टर  
रायगढ़ (छ.ग)